रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 44 ● अंक – 3 एवं 4 (संयुक्तांक) ● कानपुर 16 से 28 फरवरी 2022 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

आख़िर वह कौन है ?

जो

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को

पीछे करने का प्रयास कर रहा है

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विकास एवं प्रसार के लिए जैसे ही कुछ आगे बढ़ती है इसके अनुयायी/हितैषी कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे इसे आगे बढ़ने से ज़्यादा पीछे होना पड़ता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी पारम्परिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की है इसके लिए कुछ मापदण्ड भी निर्धारित किये हैं उन मापदण्डों को पूर्ण करने के पश्चात ही सरकारें इसे मान्यता प्रदान करती हैं इसी का अनुसरण करते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया था इस समिति ने मान्यता के कुछ अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्ड निर्धारित किये हैं इसके अधीन स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो पूर्ण रुपेण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो न कि कुछ रोगों के लिए ही सीमित हो।

आजकल देश में पूरे जोर शोर के साथ कुछ संस्थाओं/संगठनों एंव समूहों द्वारा इस प्रकार प्रचार किया जा रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अमुक रोगों का इलाज पूर्णतयः सम्भव है गारन्टी के साथ लाभ प्राप्त करें यह कथन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में बाधा उत्पन्न कर सकता है 28 फरवरी, 2017 से अधिसूचित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के लिए जो समिति कार्य कर रही है अभी तक उसने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

हालांकि उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरूद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं की है यदि टिप्पणी की भी है तो इसकी उपाधि आदि के सम्बन्ध में।

इसके प्रपोज़ल कर्ताओं के सम्बन्ध में यदि टिप्पणी की है तो वांछित सामग्री न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, ऐसी संस्थाओं/संगठनों एवं समूहों को समय का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचे, लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं वह कभी भी कर सकते हैं यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर करना है तो वह तभी सम्भव हो सकेगा जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी बाकी रहेगी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने उस स्थान पर आज भी मज़बूती के साथ खड़ी है जहां उसे होना चाहिये इसीलिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 21 दिसम्बर, 2017 को एक पत्र जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नियत बिल्कुल साफ है और वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैकल्पिक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करना चाहती है यदि इसमें कोई बात आड़े आती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं/संगठनों एवं समूहों की मनमानी की है।

चिकित्सा पद्धति के रूप में, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ही विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है इसके अतिरिक्त जितनी भी पद्धतियां हैं उन्हें विकसित होने का पूर्ण अधिकार है बशर्ते ये तमाम पद्धतियां जनोपयोगी हों इनसे स्वास्थ्य को हानि न पहुँचती हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी पद्धतियों को पारम्परिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में रखा है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां वह पद्धतियां हैं जो किसी देश द्वारा अपनी जनता के लिए निर्धारित नहीं हैं अर्थात इनका उपयोग सभी देश अपने यहां कर सकते हैं, पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां वह पद्धतियां हैं जो किसी देश में अपनायी जाती हैं और जिन्हें वह देश संरक्षण देते हैं, आयुर्वेदिक एवं एक्यूपंचर आदि पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां हैं,आयुर्वेदिक भारतीय तथा एक्यूपंचर चीनी चिकित्सा पद्धति है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी यूरोपीय पद्धति है इसका उद्भव इटली में हुआ और इटली से निकलकर पूरे विश्व में फैल गयी चूंकि यूरोप में पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां नहीं हैं इसलिए यूरोप में तमाम चिकित्सा पद्धतियां वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में अन्य के साथ होम्योपैथी एवं बायोकेमिक भी सम्मिलित है।

अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड को पूर्ण करने के बजाये सरकार द्वारा प्राप्त काल्पनिक सहमति को इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं मानों इन संस्थाओं/संगठनों या समूहों को कार्य करने की खुली छूट मिल गयी हो और लोगों को भ्रमित करने में वह लेशमात्र भी संकोच नहीं कर रहे हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं इसका किसी को कोई अन्दाज़ा नहीं है, वह जो भी कर रहे हैं वह सार्वजनिक जीवन में सभी ओर दिखायी पड़ रहा है इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्या लाभ हो सकता है ! इन्हें अनुमान तक नहीं है तथा इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्या नुकसान हो सकता है इसकी कल्पना वे नहीं कर सकते हैं अतः इन संस्थाओं/संगठनों या समूहों को चाहिये कि वह वर्तमान समय में जो भी गति–विधियां करें वह अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों की पूर्ति करते हों जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मार्ग सुगमता से प्रशस्त हो सके यदि इसके विपरीत कोई कार्य करते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में निःसंन्देह बाधा उत्पन्न होगी और उनके द्वारा किये जा रहे निवेश को भारी क्षति हो सकती है, अतः प्रारम्भिक तौर पर वह अपने द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करें तथा अन्तरविभागीय समिति द्वारा जारी नोटिस, उसके द्वारा वांछित सूचनायें एवं अभिलेखों की समीक्षा के उपरान्त जारी पत्रों का अनुसरण एवं अनुशीलन करें, इसके बाद ही कोई कार्य योजना बनायें तभी उन्हें सफ़लता मिल सकती है, इसके विरूद्ध यदि उनके द्वारा किये कार्यों का परीक्षण होता है और यदि कोई कार्यवाही उनके विरूद्ध होती है तो देश के अनेक राज्य उससे प्रभावित हो सकते हैं जिससे उन राज्यों में स्थापित संस्थाओं/संगठनो एवं समूहों का इससे कोई सम्बन्ध न होगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अग्रणी संस्थाओं/संगठनों या समूहों को चाहिये कि वह कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों के प्रतिकूल हो।

- अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड को पूर्ण करें
- बंगाली डाक्टर की तर्ज पर इलाज करना बन्द करें इससे आपकी छवि खराब होगी
- गारन्टी से कोई भी इलाज नहीं किया जा साकता है
- इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने उस स्थान पर आज भी मज़बूती के साथ खड़ी है जहां उसे होना चाहिये
- ऐसा कार्य न करें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों के प्रतिकूल हो

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता हेतु I.D.C.की पाँच वर्षीय यात्रा

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति (IDC) द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देने हेतु मैकेनिज़्म के लिये बिन्दु निर्धारित किये गये थे जिसके परीक्षणोपरान्त सरकार को चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देने का निर्णय करना था इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रपोज़ल प्रेषित किये गये जिनमें से 29 प्रपोज़लों को विचार हेतु सुरक्षित किया गया इन प्रपोज़लों में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का प्रपोज़ल नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग – 6 द्वारा इस आशय का आदेश 04 जनवरी, 2012 को पहले ही जारी किया जा चुका है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 व 05 मई, 2010 के अनुसार कार्य किया जा रहा है इसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (EHMAI) द्वारा भी प्रपोज़ल नहीं प्रस्तुत किया गया क्योंकि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा पूर्व में ही EHMAI के पक्ष में चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास हेतु 21 जून, 2011 को आदेश जारी किया जा चुका है, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से EHMAI को सूचित किया गया है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 जून, 2011 की यथा स्थिति बनी हुयी है।

अन्तरविभागीय समिति (IDC) की पहली बैठक 09 जनवरी, 2018 तथा पाँचवी बैठक 11 जनवरी, 2021 को सम्पन्न हुयी थी अन्तर विभागीय समिति ने अपनी सभी बैठकों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया किन्तु सभी बैठकों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा तथा इसकी उपाधियों के प्रति स्वस्थ्य आलोचना भी की, शिक्षा व्यवस्था एवं औषधि निर्माण के प्रति सुझाव जैसी बातें भी कीं, अन्तरविभागीय समिति (IDC) ने प्रपोज़लकर्ताओं से शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों, औषधि निर्माताओं एवं औषधि प्रयोगकर्ताओं की सूची की मांग की जो अन्तरविभागीय समिति (IDC) को प्रस्तुत नहीं की जा सकी, अन्तरविभागीय समिति (IDC) के समक्ष उपस्थित समस्त 29 प्रपोज़लकर्ता यदि अपना कार्यवृत प्रस्तुत करने का प्रयास करें तो सम्भव है कि अन्तरविभागीय समिति (IDC) द्वारा वांछित की पूर्ति हो जाये।

अब तो गेन्द प्रपोज़लकर्ताओं के पाले में आ चुकी है प्रपोज़लकर्ता इस Golden Opportunity का लाभ लेते हुये शीघ्रता शीघ वांछित की पूर्ति सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास करें और सरकार को कोई ऐसा अवसर अपनी ओर से न दें जिससे सरकार को यह कहने का अवसर मिले कि पाँच वर्ष तक अवसर देने के बाद भी आप वांछित की पूर्ति में असफल रहे, विदित हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन हेतु 1998 में जब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया और इस आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ निर्देश जारी किये गये, उनमें से कुछ निर्देश हैं जैसे डिग्री में प्रतिबन्ध, डाक्टर शब्द लिखने पर विचार। इस आदेश के अनुपालन में 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार ने आदेश जारी किया जो लोगों के समझ में ही नहीं आया और लोग विचलित के साथ–साथ भयभीत भी हो गये, फिर इस आदेश का 5–5–2010 को स्पष्टीकरण आया इसके बाद 21 जून, 2011 का आदेश आया तो लोग एकदम से हताश हो गये और यह कहने लगे कि यह आदेश तो इहमाई वालों के लिए है हमारा क्या होगा ? इसी क्रम में जब 04 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी कर दिया, यह आदेश उत्तर प्रदेश के लिए है और तब तक प्रभावी रहेगा जबतक केन्द्र सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा की सभी समस्याओं का समाधान है 21 जून, 2011

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का जो क्रम 1948 से प्रारम्भ हुआ था उसने 1988 में एक जांच समिति का रूप लिया जिसके परिणाम स्वरूप 1991 में जो कुछ भी सरकार ने कहा था वह आज भी अपने उसी रुप में है मान्यता की मांग का सिलसिला इस हद तक ज़ोर पकड़ा कि वह मान्यता के लिए कानून बनाने के बजाए एक अर्धशासकीय आदेश में सिमट गया और सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के लिए जो नोटिस जारी किया उसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं /संगठनों ने इस प्रकार प्रदर्शित किया मानो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी हो और इस तरह की समस्या खड़ी कर दी जो सीधा साधा नोटिस था उसे ही समस्याग्रस्त कर दिया, सरकार से कई अवसर मिलने के बाद भी उसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, स्थिति यह हो गयी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब भी कहीं कोई बात चलती है तो समस्याओं की चर्चा अपने आप ही होने लगती है तब यह लगने लगता है कि समस्यायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता–धर्ताओं में! समस्यायें कहाँ नहीं होती हैं ? तो इसका उत्तर आयेगा जब तक जीवन है और जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो समस्याओं से हमारा सामना तो होता ही रहेगा लेकिन समस्याओं से डर कर हम अपनी दिशा ही बदल दें या लक्ष्य से भटक जायें तो यह किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं पर गम्भीरता पूवर्क विचार करें तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो ही जाती है कि समस्यायें पद्धति में हैं या पद्धति में नहीं हैं अपितु समस्याओं की जड़ में हमारी अधकचरी सोच है सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने जैसा व्यवहार करना ! यह किस बात का प्रदर्शन है ? यह समझ से परे है, पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज़्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लेने में है और अधिकार भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखता है, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिंचता जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्यायें हैं ? तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा ही नहीं हुयी जिस समस्या का समाधान न हो और समाधान में अस्तु , किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है, देखा जाये तो अब समस्या है ही कहाँ! जो भी समस्यायें हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वे सारी की सारी हमारे द्वारा ही उपजी हैं, अगर हम मन से स्थिर हों जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो शनैः–शनैः समस्यायें स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा निर्मित कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूवर्क प्रैक्टिस करने की यह कोई समस्या नहीं है– 21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार देता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर 2013 एवं 14 मार्च 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूवर्क कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहतें हैं तो किसी का क्या दोष है ? न्यायालय का आदेश है जिस पर शासन की मुहर भी है कि जो चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है उसे अपने जनपद के सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है, जिसे आम भाषा में जनपदीय पंजीयन का नाम दिया गया है इससे ही हम कतरायेंगे तो समस्यायें तो जन्म लेंगी ही ! अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की समझदारी है ?

दूसरी सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या सारी समस्याओं की जननी भी है यह समस्या है संस्थाओं के संचालन की, 25 नवम्बर, 2003 का आदेश आने से पहले प्रदेश में लगभग 3 दर्जन शीर्ष संस्थायें और लगभग तीन सैकड़ा से भी अधिक विद्यालय संचालित हो रहे थे अब अधिकार किसी एक संस्था के पास निहित है बाकी अधिकारों के लिये परेशान हैं, यह समस्या भी कोई समस्या नहीं है, देश में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का पूर्ण अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि चिकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता फिर अधिकार पूर्वक कार्य करता ऐसे में समस्या कहाँ थी लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं ही समस्यायें पैदा कर लीं, जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है ऐसे लोग भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, सरकार किसी से भेद–भाव नहीं करती है हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही होगा।

तीसरी समस्या है स्वयं को स्थापित करने की ! यह भी कोई समस्या की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनोपयोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही हो जावेगी, लोगों की जिज्ञासा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम कर सकते हैं या नहीं तो उनके लिये एक ही उत्तर है कि 25 नवम्बर, 2003 काम करने के लिये ही तो आदेश है, 05–05–2010 शंकाओं का समाधान है और 21 जून, 2011 भारत सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र है इसके उपरान्त भी कार्य कैसे करें ? यह पूछना समस्याओं को जन्म देने जैसा ही है। किसी ने होम्योपैथी, सिद्धा और सोवा रिग्पा जैसी चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि इन पद्धतियों की मान्यता सरकार ने किन परिस्थितियों में दी है ? सरकार ने दो–टूक जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी तरह का एक प्रश्न कि डा0 लिखने का अधिकार किस–किस को है ? जवाब आया 25 नवम्बर, 2003 का अवलोकन करें।

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि समस्यायें कहीं नहीं हैं वास्तव में 21 जून, 2011 का आदेश आ जाने के बाद सारी समस्या स्वतः ही समाप्त हो गयी है क्योंकि केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 नवम्बर, 2003 एवं 05 मई, 2010 के आदेशों को केन्द्र सरकार का निर्देश मानें।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chaljapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 8299165010
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115543675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 8423596191
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Devigani, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddharth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	7417775346	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793261649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9818120565	9873609565
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Electro Homoeopathic Exam	Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus	KANPUR	0512-2970704	
95	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

Registrar

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014

email: registrarbehmup@gmail.com

F.M.E.H. व A.C.E.H. पाठयक्रमों के संचालन हेतु निम्न जनपदों में स्टडी सेन्टर्स के स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करता है

इलाहाबाद, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ़्फ़र नगर, शामली, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, फ़ैज़ाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद,ग़ाज़ीपुर, बलिया, वाराणासी, चन्दौली, भदोई, औरैया, फर्रुखाबाद एवं कन्नौज।

आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट (website) www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus(1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	RegisteredPractitioner Any Branchor Equivalent	1 Semester

नोटः– स्टडी सेन्टर स्थापना हेतु कोई शुल्क नहीं है।